बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।
।। अधिसूचना ।।

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। –

(i) यह नियमावली "बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ । –

इस नियमावली में, जब तक किसी विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) 'नियमावली' से अभिप्रेत है, "बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025";

(ii) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है, "बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग";

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, "निदेशक, प्राथमिक शिक्षा";

(iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, "राज्य सरकार का शिक्षा विभाग";

(v) 'सरकार' से अभिप्रेत है, "बिहार राज्य सरकार";

(vi) 'आयोग' से अभिप्रेत है, "बिहार लोक सेवा आयोग";

3. संवर्ग की संरचना । —

(i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी।

क्रम	पद नाम	पद का स्तर	कोटि
1	सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी	मूल कोटि	अराजपत्रित
2	शिक्षा विकास पदाधिकारी	प्रोन्नति के प्रथम स्तर	अराजपत्रित

(ii) इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(iii) इस संवर्ग के पदसोपान के पदों का वेतनमान/वेतनस्तर वही होगा जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय।

4. नियुक्ति की प्रक्रिया । —

(i) इस संवर्ग में मूल कोटि के पद (सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी) पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय–समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी।

(ii) सीधी भर्त्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी।

(iii) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय–समय पर विनिश्चित की जाय। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर होगी।

5. आरक्षण । —

इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

6. परिवीक्षा अवधि । –

सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवामुक्त कर सकेगा।

7. प्रशिक्षण। –

इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

8. विभागीय परीक्षा । –

सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जायेगा।

9. सम्पुष्टि । –

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

10. वरीयता । –

सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण आयोग के मेधाक्रमानुसार किया जा सकेगा।

11. प्रोन्नति । –

(i) सेवा में सम्पुष्ट कर्मियों की संवर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति, वरीयता–सह–योग्यता के अनुसार विभागीय स्तर पर प्रोन्नति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा दी जा सकेगी।

(ii) प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्त वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाएगी ।

(iii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

12. अवशिष्ट मामले । –

इस नियमावली में जिन विषयों के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में विहित प्रावधान लागू होंगे।

13. कठिनाईयों का निराकरण । –

इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में होनेवाली कठिनाईयों का निराकरण हेतु संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा विधि विभाग के परामर्श से समय–समय पर सामान्य या विशेष निदेश जारी किया जा सकेगा।

14. शिथिल करने की शक्ति। –

जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्ही उपबन्धों को सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

15. निर्वचन। –

इस नियमावली के किन्ही उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8/4/2025
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8/अ०शि०–09–02/2025...–384 पटना, दिनांक :– ...08.04.2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी अंक में इसे प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

8/4/2025
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8/अ०शि०–09–02/2025.....384 पटना, दिनांक :– 08.04.2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 8/4/2025

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8/अ०शि०–09–02/2025.....384 पटना, दिनांक :– 08.04.2025

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल, बिहार के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ सचिव, विधि विभाग/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सचिव (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/ बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्/ मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना/निदेशक (जन शिक्षा)/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना/सभी संयुक्त सचिव/सभी संयुक्त निदेशक/विशेष निदेशक/उप निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार, पटना/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, राजकीय उच्च विद्यालय (बालक एवं बालिका)/सभी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)/सभी प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षण महाविद्यालय/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- 8/4/2025

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–8/अ०शि०–09–02/2025.....384 पटना, दिनांक :– 08.04.2025

प्रतिलिपिः– वेबसाईट कोषांग के आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/- 8/4/2025

अपर मुख्य सचिव